



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वादपत्र स0 12सी/2018

गंगाराम पुत्र हरजी जाति बलाई निवासी काचरिया तहसील केकडी जिला अजमेर

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

—प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम एवं धार 136 राज. भू-राजस्व अधि.

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएस)

निर्णय

दिनांक 02.06.2018

पत्रावली आज लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प भीमडावास में पेश हुई। वादी /प्रतिवादी उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू-राजस्व अधि. के तहत मय दस्तावेज पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम काचरिया के जामबन्दी संवत 2072-75 के खाता संख्या 37 में दर्ज वादी का नाम गंगा पुत्र हरजी दर्ज कर दिया गया जिसे दुरुस्त करवाकर गंगाराम पुत्र हरजी दर्ज किया जावे।

हमने वादी का वादपत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। जवाब सरकार की ओर तहसीलदार केकडी से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम काचरिया के जामबन्दी संवत 2072-75 के खाता संख्या 37 में दर्ज वादी का नाम गंगा पुत्र हरजी दर्ज कर दिया गया जिसे दुरुस्त करवाकर गंगाराम पुत्र हरजी दर्ज किया जाना उचित है।

हमने वादपत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का देवपुरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम काचरिया के जामबन्दी संवत 2072-75 के खाता संख्या 37 में दर्ज वादी का नाम गंगा पुत्र हरजी दर्ज कर दिया गया जिसे दुरुस्त करवाकर गंगाराम पुत्र हरजी का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच गंगा पुत्र हरजी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादी गंगा पुत्र हरजी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी गंगा पुत्र हरजी नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार केकडी को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 02.6.2018 को केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प भीमडावास में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
केकडी